संविधान का निर्माण

1. _____ लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(a) रिट (b) संविधान (✓)

(c) बिल (d) दस्तावेज

2. सभी _____ देशों में संविधान होने की संभावना है।

(a) कम्युनिस्ट (b) लोकतांत्रिक (✓)

(c) कुलीनतंत्र (d) अधिनायकवादी

1934 → MN Roy द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की माँग।

1935 → कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही।

1936 → कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन मे नेहरू जी द्वारा मांग।

अगस्त प्रस्ताव : 8 अगस्त 1940

गवर्नर जनरल - लिनलिथगो

- इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया।
- लेकिन यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

इसके विरोध मे व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है।

1st — आचार्य बिनोवा भावे

2nd — पं० जवाहर लाल नेहरू

क्रिप्स मिशन : 1942

- स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व मे
- यह भी अस्वीकार हो जाता है।
- क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के बाद भारत छोडो आंदोलन (1942) चालू होता है।

अस्वीकृत होने के कारण :

डोमिनियन स्टेटस [Dominion status] का दर्जा दिया जायेगा।

[कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग]

मोहम्मद अली जिन्ना ने 'पृथक' पाकिस्तान की मांग करते हुये इसे मानने से इंकार कर दिया।

कैबिनेट मिशन - 1946 :

यह 3 सदस्यीय मिशन था।

1. A.V. अलेक्जेण्डर
2. स्टैफोर्ड क्रिप्स
3. लार्ड पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष)

- कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- परंतु इसमे मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। [साम्प्रदायिक निर्वाचन को स्वीकारा गया जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया]

कैबिनेट मिशन के अनुसार,

कुल सीट : 389

total Seats - 389

- 296 Seats (elected) — ब्रिटिश भारत के प्रांतो से
  - 292 — गवर्नर के शासन वाले प्रांत से
  - 4 Seats — चीफ कमिश्नर के शासन वाले प्रांत से
- 93 Seats (Nominated) — देशी रियासतो से

अप्रत्यक्ष निर्वाचन [Indirectly elected]

समुदायो का विभाजन - 3 [मुस्लिम, सिक्ख, सामान्य]

10 लाख - 1 सीट

चुनाव: जुलाई - अगस्त 1946

परिणाम:

296 सीट

- 208 कांग्रेस
- 73 मुस्लिम लीग
- 15 अन्य

विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई।

संविधान सभा की पहली बैठक:

9 दिसम्बर 1946 [211 सदस्य]

↓

13 दिसम्बर 1946 → जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया।

→ यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।

समितियाँ (committee)

- महत्वपूर्ण समितियाँ (Major) - 8
- छोटी समितियाँ (लघु) (Minor) - 13

सबसे महत्वपूर्ण समिति - मसौदा समिति (7 सदस्य) (29 अगस्त 1947)
प्रारूप समिति

1. डॉ० भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष) (Modern Manu) (बंगाल से elected)
2. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
3. गोपाल स्वामी आयंगर
4. मुहम्मद सादुल्लाह खान
5. B.L. मित्र ——→ N. माधवराव
   (स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया)
6. D.P. खैतान ——→ T.T. कृष्णामचारी
   (मृत्यु)
7. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

- संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुये | 165 दिन
- संविधान को निर्मित होने मे 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा |

पहला सत्र : 9 - 23 दिसम्बर 1946

दसवां सत्र : 6 - 17 अक्टूबर 1949

ग्यारहवां सत्र : 14 - 26 नवंबर 1949

- B.R. अम्बेडकर द्वारा final draft रखा गया - 4 नवंबर 1948

Adopt → 26 नवंबर 1949
↳ संविधान दिवस के रूप मे मनाया जाता है |

लागू → 26 जनवरी 1950
↳ लाहौर अधिवेशन (1929) मे कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनायेंगे |

Note: कुछ प्रावधानों को 26 Nov. 1949 को ही लागू कर दिये गये थे |

1. नागरिकता
2. चुनाव
3. अंतरिम संसद

संविधान सभा के मुख्य कार्य
- संविधान निर्माण → अध्यक्ष - राजेन्द्र प्रसाद
- कानून [law making body] बनाना → GV मावलंकर (अध्यक्ष)

अस्थायी अध्यक्ष - डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा
उपाध्यक्ष - H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णामचारी

- संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया।

संवैधानिक सलाहकार - बी. एन. राव

संविधान के मुख्य प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) - एस. एन. मुखर्जी

संविधान सभा के अन्य कार्य:

1. राष्ट्रध्वज अपनाया - 22 जुलाई 1947
2. राष्ट्रीय गीत -
3. राष्ट्रीय गान -

} 24 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान सभा के 284 (15 महिलाये) सदस्यो ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

Extra: महिला सदस्य - राजकुमारी अमृतकौर (प्रथम स्वास्थ्य मंत्री)
सुचेता कृपलानी (प्रथम मुख्यमंत्री - UP)
सरोजिनी नायडू (प्रथम राज्यपाल)

4. 24 जनवरी 1950 को ही राजेन्द्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
5. कॉमनवेल्थ की सदस्यता को May 1949 मे Ratify (पुष्टि करना) किया।

मूल संविधान के सुलेखकार - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (अंग्रेजी मे)

हिन्दी मे सुलेखित किया - वसंत कुमार वैद्य

संविधान मे सजावट का कार्य- नंदलाल बोस एवं बिउहर राम मनोहर सिन्हा

संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह = हाथी

1. संविधान बनाने वाला पहला देश - USA (1789)
आजाद - 4 जुलाई 1776
2. मोतीलाल नेहरु (अध्यक्ष) और आठ अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था - 1928
3. किस वर्ष मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी - 1934
4. संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमे से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे - 93
5. संविधान सभा मे महिला सदस्य - 15
6. भारत की संविधान सभा मे प्रारंभ मे कितने सदस्य थे - 299
7. उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद मे भारत के संविधान की प्रस्तावना के रुप मे अपनाया गया - जवाहर लाल नेहरु
(13 Dec. 1946)
(22 Jan. 1947) adopt
8. 1946 मे किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था - सच्चिदानन्द सिन्हा
9. भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था - 1946
10. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई - दिसम्बर 1946
11. भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई - 11

12. 1946 मे भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप मे किसे नियुक्त किया गया था -
B. N. राव

13. भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे -
B पट्टाभि सीतारमैया

- महत्वपूर्ण समितियाँ:

1. संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
2. संघ शक्ति समिति - जवाहर लाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
4. परामर्श समिति - सरदार पटेल
5. नियम प्रक्रिया समिति - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
6. संचालन समिति - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
7. प्रारुप समिति - डॉ० भीमराव अम्बेडकर
8. देशी रियासतो से वार्ता संबंधी समिति - जवाहर लाल नेहरू

14. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के ______ अध्यक्ष थे - क्रेडेंशियल समिति

15. जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के ____ अध्यक्ष थे
कार्यसमिति

16. कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का हिस्सा नही था - महात्मा गांधी

17. संविधान सभा की प्रारुप समिति मे कितने सदस्य शामिल थे - 7

18. प्रारुप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा मे लिखा - हिन्दी एवं अंग्रेजी

19. संविधान सभा के सदस्यो ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए - 24 जनवरी 1950

20. भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था - प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

21. संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया - 26 Nov 1949

22. संविधान सभा ने डॉ० बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना कब की - 29 अगस्त 1947

23. हमारे संविधान के अनुसार, भारत ______ है - एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

24. संविधान दिवस - 26 नवंबर

25. गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है - बीटिंग रिट्रीट समारोह

26. किस देश का संविधान अलिखित है - UK

27. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है - संघवाद

28. कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओ मे से एक है - संघवाद

29. भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं : द्विसदनीय विधानमंडल

30. कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नही है - अखिल भारतीय सेवाएँ (Art. 312)

31. राज्य की एकात्मक प्रणाली मे कौन से लाभ है - मजबूत राज्य

32. भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान है जिसमे सरकार की ______ प्रणाली है - संसदीय

33. सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता ___ है- कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही

34 भारत का संविधान है- आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला

35. संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया।

' प्रस्तावना "

प्रस्तावना

विचार — भाषा

USA — आस्ट्रेलिया

संविधान का ID Card - N A पालखीवाला

संविधान की कुण्डली - KM मुंशी

संविधान के अवयव [Ingrediants]

1. भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत - भारत के लोग
2. संविधान की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
3. उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा
4. लागू होने की तिथि - 26 नवंबर 1949

- **सम्प्रभुता :** समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता / क्षमता
  कोई बाहरी / आंतरिक दबाव को मानने के लिये बाध्य नहीं।

- **समाजवादी :** लोकतांत्रिक समाजवाद
  ↳ मिश्रित अर्थव्यवस्था

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था - पूंजीपतियो का अधिकार (Private)
समाजवादी अर्थव्यवस्था - सरकार का अधिकार

- **पंथनिरपेक्ष :** भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है।

- **लोकतंत्रात्मक :** प्रत्यक्ष → लोग सीधे कानून बनाने मे भाग लेते है।
  (जनता का शासन) कानून) ↳ स्विट्जरलैण्ड
  अप्रत्यक्ष → लोग सीधे भाग नही लेते।
  ↳ भारत

- **गणराज्य :** राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन [भारत, USA]

ब्रिटेन - वंशानुगत (राजा / रानी)

- **न्याय :** सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

- **स्वतंत्रता :** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना
  बाधाओ से मुक्त, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर

- **समानता :** प्रतिष्ठा, अवसर
  किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है।

- भाईचारे की भावना

क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है ? हाँ,

क्या प्रस्तावना मे संशोधन किया जा सकता है? हाँ

- बेरुबारी यूनियन केस (1960) - नही
- केशवानन्द भारती केस (1973) - हाँ
- LIC केस - हाँ

"प्रस्तावना अप्रवर्तनीय, आबाध्यकारी है।" (non-justiciable)

→ प्रस्तावना मे केवल एक बार, संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया है।

42th संविधान संशोधन 1976, लघु संविधान

3 शब्द जोड़े - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरु होती है- हम, भारत के लोग

2. भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रभावित है- USA, ऑस्ट्रेलिया

3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया- 26th नवंबर 1949

"प्रस्तावना, सरकार को न तो कोई शक्ति (Power) देता है और ना ही कोई बाधा लगा सकता है।"

4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे भारत को ____ लिखा गया है-
संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य

5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे भारत को ____ लिखा गया है -
(प्रस्तावना मे संशोधन)

42 वां संशोधन अधिनियम, 1976

भारत मे 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द की सही अभिव्यक्ति है- भारत मे राज्य का कोई धर्म नही है

7. इनमे से कौन- से शब्द मूलतः भारत का प्रस्तावना मे शामिल नहीं थे-

(a) लोकतंत्रात्मक

(b) सम्प्रभुता

(c) धर्मनिरपेक्ष (✓)

(d) गणराज्य

8. संविधान के अधिनियमन के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था-

(a) समाजवादी (✓)

(b) स्वतंत्रता

(c) समानता

(d) न्याय

9. प्रस्तावना मे कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है- 3
(सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक)

10. कौन सा सही है-

(a) बेरुवारी मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का हिस्सा नहीं है।

(b) केशवानंद भारती मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।

(c) A & B दोनो (✓)

(d) NOT

11. सही क्रम है -

(a) समाजवादी (b) लोकतंत्रात्मक

(c) संप्रभु (d) धर्मनिरपेक्ष

(c, a, d, b)

12. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली' किसने बताया- कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

13. किसने प्रस्तावना को 'संविधान का पहचान पत्र' कहा- एन.ए पालकीवाला

14. किसने प्रस्तावना को 'संविधान का मूल मंत्र' कहा- अर्नेस्ट बार्कर

15. कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना मे सन्निहित नही है- आर्थिक स्वतंत्रता

16. स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा- स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर

अनुसूची

मूल संविधान - 8
वर्तमान - 12

- **प्रथम अनुसूची :** भारत संघ & उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन
  राज्य - 28
  UT - 8

- **2nd अनुसूची :** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष CAG आदि, को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं भत्ते)

- **3rd अनुसूची :** संघ & राज्यो के मंत्री, सांसद, विधायको आदि के शपथ / (CAG, SC/HC के जज)

- **4th अनुसूची :** राज्य सभा मे सीटो का आवंटन /

- **5th अनुसूची :** SC/ST क्षेत्र- प्रशासन और नियंत्रण के बारे मे उपबंध

- **6th अनुसूची :** असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यो मे जनजातीय क्षेत्रो के प्रशासन के बारे मे उपबंध/

(ATMM)
Manipur (X)

◉ **7th अनुसूची:** संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
रक्षा	पुलिस	शिक्षा
बैंक	कृषि	वन
मुद्रा	व्यापार	मापतौल
विदेशी मुद्दे	स्वास्थ्य	परिवार नियोजन & जनसंख्य
संचार		विवाह
		अधिग्रहण

◉ **8th अनुसूची:** भाषाएँ

मूलसंविधान - 14
वर्तमान - 22

21 वां संविधान संशोधन 1967 → सिंधी भाषा

71 वां " " 1992 → नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी

92 वां " " 2003 → मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी

96 वां " " → उड़िया

शास्त्रीय भाषाएँ →
- तू → तमिल
- शुरु → संस्कृत
- तो → तेलगु
- कर → कन्नड़
- मैं → मलयालम
- आरिया → ओडिया

◉ **9th अनुसूची:** "भूमि सुधार से संबधित"

पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोडी गई।
(pm - नेहरु जी)

◉ 10^{th} अनुसूची: दल-बदल कानून निषेध किया गया।
52 वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोडी गई।

◉ 11^{th} अनुसूची: ग्राम पंचायत के 29 विषयो का उल्लेख।
73 वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोडी गई
(pm- पीवी नरसिम्हा राव)

◉ 12^{th} अनुसूची: नगर पंचायत के 18 विषयो का उल्लेख।
74 वां संविधान संशोधन 1993 के तहत।

→ कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची मे शामिल नही है- अंग्रेजी

→ भारत के संविधान के अनुसार, "पशुधन और पशुपालन" का विषय शामिल है- राज्य सूची

भारतीय संविधान के स्रोत

भारत शासन अधिनियम 1935:

1. आपातकालीन उपबंध
2. सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का ढाँचा
3. लोक सेवा आयोग
4. राज्यपाल का पद, कार्यालय
5. संघीय व्यवस्था
6. शक्तियो के वितरण की तीन सूचियाँ

ब्रिटेन का संविधान:

1. संसदीय व्यवस्था
2. एकल नागरिकता

3. संसदीय विशेषाधिकार
4. परमाधिकार रिटें
5. विधायी प्रक्रिया
6. कानून सर्वोपरि
7. मंत्रिमंडलीय प्रणाली
8. द्विसदनीय व्यवस्था

अमेरिका का संविधान:

1. मौलिक अधिकार
2. प्रस्तावना
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता
4. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना।
5. उपराष्ट्रपति का पद
6. राष्ट्रपति पर महाभियोग
7. राज्याध्यक्ष (Head of the State) का चुनाव
8. न्यायिक पुनरीक्षण/पुनरावलोकन
9. संविधान की सर्वोच्चता
10. शक्तियों का बटवारा (विधायिका, कार्यपालिका. न्यायपालिका)
11. वित्तीय आपातकाल

कनाडा का संविधान:

1. सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था।
2. केन्द्र के द्वारा राज्य मे राज्यपालों की नियुक्ति
3. अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र मे निहित होना।
4. उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन

आस्ट्रेलिया का संविधान :

1. समवर्ती सूची
2. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
3. संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक

आयरलैण्ड का संविधान :

1. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
2. राज्यसभा मे मनोनीत सदस्यो का नामांकन
3. राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्दति

जर्मनी का संविधान :

1. आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्ति।
2. आपातकाल के समय मौलिक अधिकारो का निलंबन।

सोवियत संघ का संविधान (USSR) :

1. मूल कर्तव्य , पंचवर्षीय योजना
2. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय।

फ्रांस का संविधान :

1. स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का आदर्श।
2. गणतंत्रात्मक ढाँचा।

जापान का संविधान :

1. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान

1. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
2. संविधान मे संशोधन की प्रक्रिया

Union & Territory

Part 1 (भाग 1) :- [अनुच्छेद 1-4] संघ और उसके राज्यक्षेत्र संविधान के भाग-1 से संबंधित है भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते है।

अनुच्छेद-1(1) : - इंडिया अर्थात भारत
"राज्यो का एक संघ होगा"

- भारत राज्यो के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नही है।
- भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नही है।

(USA मे राज्य अलग हो सकते है)
(भारत में राज्य टूट सकते है लेकिन संघ नही)

अनुच्छेद 2 : "नये राज्यो का प्रवेश"

संसद निर्धानो और शर्तो के साथ जिन्हे वह उचित समझे संघ मे किसी नये राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद 3 : नये राज्यो का निर्माण व पुराने राज्यो के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन।

(a) संसद विधि द्वारा, दो या दो से अधिक राज्यो के भागो को मिलाकर, किसी भी राज्य मे से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके / परिवर्तन कर सकती है।

(b) किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है।
(C) किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।
(d) किसी भी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है।

यह संसद, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है कोई राज्य नही कर सकता।

अनुच्छेद 4 :

अनुसूची 1, 4 मे परिवर्तन

संसद

अनुच्छेद 2 → संघ मे किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करती है

अनुच्छेद 3 → किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम, या सीमा मे परिवर्तन करती है।

तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है इसके लिए संविधान संशोधन (अनु० 368) की आवश्यकता नही होती।

2/3 सदस्य (उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य)

Note: संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नही है।

बेरुबारी यूनियन केस 1959 मे, भारतीय संघ को किसी अन्य देश को क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा।

→ 100th संविधान संशोधन 2014 मे भारत - बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

552 देशी रियासते → 549

3 —
- हैदराबाद → पुलिस कार्यवाही से, ऑपरेशन पोलो, 1948
- जूनागढ → जनमत संग्रह से
- कश्मीर → विलय पत्र [महाराजा हरि सिंह]

1950 मे संविधान मे भारतीय संघ के राज्यो का चार गुना वर्गीकरण था - भाग A, भाग B, भाग C, भाग D
↓
अण्डमान & निकोबार

भाषा के आधार पर राज्यो का पुनर्गठन :

1. SK धर आयोग 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन का समर्थन किया।

2. JVP समिति 1948 → भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की माँग खारिज कर दी।

1953, पोट्टी श्री रामुलु → 56 दिनो के आमरण अनशन के बाद मृत्यु ।

पहला भाषायी (भाषा के आधार पर) राज्य - आंध्रप्रदेश
(तेलुगू भाषा)

राज्य पुनर्गठन आयोग : अध्यक्ष - फजल अली
1953 अन्य सदस्य - के.एम. पणिक्कर
प. हृदयनाथ कुंजरू

→ इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया (भारत बहुभाषीय देश)

→ भाषायी आधार पर राज्यो के पुनर्गठन को स्वीकार किया। (linguistic basis)

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 → भाग A, B, C, D ×

7th संविधान संशोधन 1956, नये तरीके से राज्यों का निर्माण

गोवा एवं दमन और दीव → 12 वां संविधान संशोधन → भारत का **अभिन्न अंग** (UT)
"पुर्तगालियो से मुक्त"

56 वां संविधान संशोधन 1987 → राज्य का दर्जा

आम		गुनाह		है	मैम		तुसी
		1963 नागालैण्ड	1966 हिमाचल			1972 त्रिपुरा	
आंध्रप्रदेश Nov.1956	महाराष्ट्र-गुजरात 1960		हरियाणा 1966		मेघालय मणिपुर 1972		सिक्किम 1975

गाओ	और	मौज	ली
गोवा 1987	अरुणाचल 1987	मिजोरम 1987	

सिक्किम → चोग्याल वंश का शासन

सहयोगी राज्य → 35 वां संविधान संशोधन 1974
अनुच्छेद 2(A)

पूर्ण राज्य का दर्जा → 36 वां संविधान संशोधन 1975

अनुच्छेद 371 → कुछ राज्यो की विशिष्ठ शक्ति / विशेष प्रावधान

371 → महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान
N 371 - A → नागालैण्ड के लिए विशेष प्रावधान
A 371 - B → असम " " " "
M 371 - C → मणिपुर " " " "
A 371 - D → आंध्रप्रदेश & तेलंगाना " "
A 371 - E → आंध्रप्रदेश मे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
S 371 - F → सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान
M 371 - G → मिजोरम " " " "

A 371-H → अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान
G 371-I → गोवा " " " "
K 371-J → कर्नाटक " " " "

- किस वर्ष मे आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलगाना भारत का 29 वां राज्य बन गया - 2014
- 'सात बहनो' के राज्य → अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा
- उस नेता के बारे मे बताएं जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नही किया और राज्य पुनर्गठन समिति मे उसका प्रतिनिधित्व किया - कोंड्डूरु सीतैयगुप्त

"नागरिकता"

भाग-2 : अनुच्छेद 5-11

एकल नागरिकता → ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

[USA- दोहरी नागरिकता का प्रावधान]

नागरिकता

अनु० 5-8	अनु० 9-11
26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नही।	26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम - 1955

अनुच्छेद 5 : संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता।

शर्तें :

1. वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो।
2. उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।
3. संविधान के लागू होने के कम-से-कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो।

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 7 : भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता।

अनुच्छेद 8 : वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।

अनुच्छेद 9 : किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति।

अनुच्छेद 10 : नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।

अनुच्छेद 11 : नागरिकता में कोई भी नया नियम/विधि/कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्ति
- जन्म से
- वंशक्रम से
- पंजीकरण से - Origin - India (✓)

नागरिकता समाप्ति
- स्वतः त्याग की घोषणा
- वंचित किया जाना
- पर्यवसान

देशीकरण से {origin - भारत}
भारत मे सम्मिलित होना ×

- पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।
- देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत मे रहना होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA)

↳ 3 देशो - अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश

6 समुदाय - हिन्दी हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई & जैन

इन देशो से आने वाले लोगो को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष ही भारत मे रहना पड़ेगा।

भाग-3 मौलिक अधिकार

अनुच्छेद → 12-35

- अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (मैग्नाकार्टा → UK)
- मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नही।
- ये पवित्र (sancrosant) / स्थायी नही है।
- ये वादयोग्य (justiciable) / प्रवर्तनीय है।

मौलिक अधिकार	अनुच्छेद
1. समानता का अधिकार	14-18
2. स्वतन्त्रता का अधिकार	19-22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
5. संस्कृति व शिक्षा संबधी अधिकार	29-30

6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार - 32

मूल संविधान - 7) -1
वर्तमान - 6

44 वां संविधान संशोधन 1978 से हटा संपत्ति का अधिकार
└→ 300 A (कानूनी अधिकारी)

अनुच्छेद 12:

राज्य की परिभाषा

राज्य

- संसद एवं केन्द्र सरकार
- राज्यो का विधानमंडल एवं राज्यो की सरकार
- स्थानीय प्राधिकारी
- अन्य प्राधिकारी

अनुच्छेद 13:

संविधान पूर्व जो कानून / नियम थे
संविधान पश्चात संसद / राज्य के विधानमण्डलो के द्वारा जो भी नियम/ कानून बनाये जाते है एवं राष्ट्रपति / राज्यपाल का अध्यादेश
इन सभी कानूनो से मौलिक अधिकारो को सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

राज्य को ऐसे कानून नही बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नही हो और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उक्त कानून उलंघन की सीमा तक शून्य हो जायेगा।

SC - केशवानन्द भारती केस . 1973
└→ मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण

विधि के समक्ष समानता - कोई भी कानून से बड़ा नही है। कानून सबसे बड़ा होता है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण।

विधियो के समान संरक्षण - समान परिस्थितियो मे समान और असमान परिस्थितियो मे असमान न्याय की अवधारणा।
अमेरिका से ग्रहण।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।

15(1) : राज्य भेदभाव नही कर सकता।
15(2) : प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नही कर सकता।

(दुकान, रैस्त्रा, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी घाट, रोड आदि जगह कोई भेदभाव नही)

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नही हो सकता।

16(4): नौकरी मे SC/ST/OBC के लिए आरक्षण

बालाजी Vs मैसूर मामला
देवदशन Vs केन्द्र सरकार मामला
इंदिरा साहनी मामला (1993)
↓
Promotion मे आरक्षण ×
50% से ज्यादा नही

1979 - मंडल कमीशन
↳ 2nd पिछड़ा आयोग
↓
OBC को भी आरक्षण
VP सिंह (✓)

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत

राज्य उपाधि नहीं दे सकता (महाराजा x) लेकिन सम्मान दे सकता है। (डॉ०, इंजीनियर, भारत रत्न आदि)

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

अनुच्छेद 19 : बोलने की स्वतंत्रता के संबन्ध मे कुछ अधिकार

6 स्वतंत्रता

S 19(1)(a) : भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

A 19(1)(b) : शांतिपूर्ण तथा हथियाररहित सम्मेलन का अधिकार

A 19(1)(c) : संघ, संगम एवं सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार

M 19(1)(d) : भारत के राज्यक्षेत्र मे घूमने का अधिकार

R 19(1)(e) : भारत के राज्यक्षेत्र मे बसने का अधिकार

19(1)(f) : सम्पत्ति का अधिकार, (44 वां संविधान संशो. 1978 के तहत हटाया गया।)

O 19(1)(g) : कोई भी व्यवसाय, वृति एवं आजीविका का अधिकार

अनुच्छेद 20 : अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध मे संरक्षण।

(a) एक अपराध के लिए एक सजा।

(b) वर्तमान कानून के तहत सजा। (अपराध के समय वाल कानून)

(c) स्वयं के विरुद्ध न्यायालय मे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं।

अनुच्छेद 21 : प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

मेनका गांधी केस (विदेश जा सकते)

सोने का अधिकार, बिजली का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार,

अनुच्छेद 21(A) : 6-14 वर्ष के बच्चो को प्राथमिक निशुल्क शिक्षा का अधिकार।

86 वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओ मे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

1. हिरासत मे लेने का कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश।
3. मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24):

अनुच्छेद 23 : मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24 : कारखानो, खनन आदि मे बच्चो के नियोजन का प्रतिषेध। (जोखिम भरे स्थानो पर नही)
(14 वर्ष से कम बच्चे)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 27 : किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नही देने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षण संस्थानो मे धार्मिक शिक्षा मे उपस्थिति होने की स्वतंत्रता नही।
(सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान)

सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार:

अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। (सभी भारतीय नागरिकों)

अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार।

अनुच्छेद 32: संविधान की आत्मा और हृदय → डॉ० B.R. अम्बेडकर
"संवैधानिक उपचारों का अधिकार"

- यह मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत SC एवं अनु० 226 के तहत HC जाकर लागू करवा सकते हैं।

→ उच्चतम न्यायालय दाखिल किये गये रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता जबकि अनु० 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

→ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) सर्वोच्च न्यायालय की तुलना मे व्यापक है।

→ SC केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है जबकि HC मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनो के लिए रिट जारी करता है।

न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार:

बंदी प्रत्यक्षीकरण: अर्थ → 'शरीर प्राप्त करना'

राज्य / प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत मे लिये जाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा।

परमादेश : " हम आदेश देते है कि "

यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी / कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यो को करने से इंकार कर देता है तब यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है।

यह राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नही।

प्रतिषेध : प्रतिषेध - 'रोकना'

SC
↓
HC
↓
अधीनस्थ न्यायालय

उत्प्रेषण:

SC
↓
HC
↓
अधीनस्थ न्यायालय

यदि HC ने कोई फैसला सुना दिया लेकिन SC को यह फैसला तर्कसंगत नही लगा तो SC उस फैसले को रद्द करके स्वयं अंतिम निर्णय देगी।

अधिकार पृच्छा: " आपका प्राधिकार क्या है। "

यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से 'सार्वजनिक पद' को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है।

अनुच्छेद 33 : सुरक्षाबल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनो के मौलिक अधिकारो को सीमित करने के संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : किसी भी territory(क्षेत्र) मे martial law (सेना विधि) लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारो को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति मे दण्ड निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास होगी।

विधि के समक्ष समानता
Law
14

Created
×

opportunity, titles
DOUBT
15 16 17 18
discrimination, untouchability

S A A M R O
19

C L E A R L Y
20 21 21A 22 × 23
Edu
Life & Liberty
Arrest & Detention
Labour / Child Labour

केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार :

मंत्र → 15 16 19 29 30

- संघ.संसद / राज्य विधानसभाओ द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान को कौनसा अनु० प्राथमिकता देता है - अनु० 13
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप मे आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया था। - ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम
- जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप मे समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे - मोरारजी देसाई

भाग-4

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अनुच्छेद - 36 से 51
ग्रहण - आयरलैण्ड

अनुच्छेद 36 : राज्य की परिभाषा (अनु॰ 12 के समान)

अनुच्छेद 37 : यह अप्रवर्तनीय है। (Non- Justiciable)

अम्बेडकर - 'नवीन विशेषता' (Novel features)

ग्रेनविल ऑस्टिन - 'संविधान की समझ'
(Conscience of the Constitution)

→ इन्हे 'निर्देशों का साधन': माना गया है।
↳ भारत शासन अधिनियम 1935
↳ गवर्नर जनरल

→ यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण / लोक कल्याण की बात करते है।

→ यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते है।
(राजनीतिक लोकतंत्र - F.R.)

अनु-38 Welfare → अनु॰-39 LDC PHC → अनु॰-39(A) Free legal Aid → अनु॰-40 Panchayat

↓

अनु॰-41 Right to work → अनु॰ - 42 Just & Humane conditions maternity relief → अनु॰-43 Living wage → अनु॰ - 43(A) Participation of workers in the management of industries

↳ अनु॰43(B) सहकारी समिति

अनुच्छेद 38 : यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है।

अनुच्छेद 39 : LDC PHC

- Livelyhood - पुरुषों & स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन।
- Distribution - समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण।
- Centralization - आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केन्द्रीकरण का निषेध।
- Pay - स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- Health - स्त्रियों / पुरुष श्रमिकों / बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।
- Children - बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना।

अनुच्छेद 39(A) : समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े।

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का गठन।

अनुच्छेद 41 : कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।

अनुच्छेद 42 : काम और मातृत्व अवकाश (maternity leave) की न्याय-संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान।

अनुच्छेद 43 : मजदूरों / श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी।

43(A) : उद्योगों के प्रबंधन मे श्रमिकों की भागीदारी।

43(B) : सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 44 : समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 45 : 0-6 वर्ष तक के बच्चो की देखभाल एवं शिक्षा

अनुच्छेद 46 : SC/ ST/ OBC के हितो की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 : पोषण स्तर को उच्च करना / मदिरा निषेध।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का संगठन
48(A) - पर्यावरण का संरक्षण और सुधार / वन्य जीवो की रक्षा

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारको और धरोहरो का संरक्षण।

अनुच्छेद 50 : न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

* 42 वां संविधान संशोधन
- गरीब - (निशुल्क विधिक सहायता - अनु० 39(A)
- श्रमिक - (उद्योगों में भागीदारी - 43(A)]
- बच्चे - (विकास का अवसर) (39)
- पर्यावरण (48(A))

* **44 वां** - आय, सुविधाओ व अवसर की असमानता को दूर करना (अनु० 38)

* **86 वां** - अनु० 21 A, अनु० 45, अनु० 51 A(K)
[6-14 वर्ष तक के बच्चो को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा।]

* **97 वां** - सहकारी समिति (अनु० 43(B))

मौलिक अधिकार Vs DPSP

◉ **चम्पाकम दोराईराजन मामला (1951)** - मौलिक अधिकार, DPSP से ऊपर है। मौलिक अधिकारो को संशोधित किया जा सकता है।

◉ **गोलकनाथ मामला (1967)** - संसद, मौलिक अधिकारो को नही छीन सकती।

◉ **24 वां संविधान संशोधन** - संसद, मौलिक अधिकारो को संशोधित कर सकती है।

◉ **25 वां** - (1) अनु० 39 (B), (C) मे वर्णित निदेशक तत्वो को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनु० 14, 19 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारो के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नही दी जा सकती। (2) न्यायपालिका विरोध नही कर सकती।

◉ **केशवानंद भारती मामला (1973)** (13 जज) - मौलिक अधिकारो मे संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा मे परिवर्तन किये बिना।

25 वां संविधान संशोधन मे पहला प्रावधान - संवैधानिक (✓)
दूसरा प्रावधान - असंवैधानिक

- **मिनर्वा मिल्स मामला** - संविधान मौलिक अधिकार और DPSP के संतुलन पर टिका हुआ है। न तो मौलिक अधिकार ऊपर है और न ही DPSP। दोनो संतुलन मे है।

→ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बैंक के एक चैक की तरह है जो बैंक की सुविधानुसार देय होता है- प्रो० के टी शाह।

मौलिक कर्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह → भूतपूर्व सोवियत संघ

- 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गये। (प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी)
- मूल संविधान मे मौलिक कर्तव्य नही थे, इन्हे 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भाग- 4(क) - अनु० 51 (A)
- अंतिम मौलिक कर्तव्य - 51 A(K) को 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

  वर्तमान - 11 मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य:

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय मे संजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रो में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करें।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (86वां संशोधन द्वारा)

→ मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों पर लागू है न कि विदेशी नागरिको पर।
→ मौलिक कर्तव्यो का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है।
→ 51A(K) मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनु० 21(A) के समान है।

शासन

- विधायिका — कानून का निर्माण
- कार्यपालिक — कानून को लागू करना
- न्यायपालिका — कानून के आधार पर न्याय

कार्यपालिका

- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- pm + cm
- महान्यायवादी

भाग-5 संघ (अनु० 52-151)

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा।

[राष्ट्रपति - राष्ट्राध्यक्ष]
भारत का पहला नागरिक

अनुच्छेद 53: कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी।
सेनाओं का प्रमुख [जलसेना, स्थलसेना, वायुसेना]

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा।
निर्वाचित [mp + mLA]
मनोनीत सदस्य भाग नही लेते।

LS } mp < निर्वाचित
RS } mp < मनोनीत
(12)
LA - mLA

दिल्ली / पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य (mLA)

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्वति

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- एकल संक्रमणीय मत पद्वति
- गुप्त रीति

Direct प्रत्यक्ष → सीधे लोगों द्वारा

Indirect अप्रत्यक्ष → लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा

→ 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक

जमानत राशि = 15000

→ Quota = $\frac{\text{कुल वोट}}{\text{उम्मीदवारों की संख्या} + 1} + 1$

→ विधायक वोट मूल्य = $\frac{\text{राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित MLA की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$

→ सांसद वोट मूल्य = $\frac{\text{सभी MLAs का कुल वोट}}{\text{सभी निर्वाचित MPs की संख्या}}$

अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

राष्ट्रपति —(त्याग पत्र)→ उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति का पुर्ननिर्वाचन

जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड सकता।

USA → max. 2 बार

देशीयकरण से नागरिक होने पर राष्ट्रपति X

भारत (✓)

सर्वाधिक कार्यकाल - डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति की योग्यता

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- वह संघ/राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
  - ↳ संविधान में परिभाषित नही।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें

संघ/राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।

उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 60: शपथ

↳ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश

↓

वरिष्ठ न्यायाधीश

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग

↓

संसद के सदस्य

महाभियोग → प्रस्ताव → 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना

लोकसभा राज्यसभा (किसी भी सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता)

↓

सदन के कुल सदस्यो की संख्या के $\frac{1}{4}$ सदस्यो के हस्ताक्षर

↓

विशिष्ट बहुमत [कुल सदस्य संख्या के $\frac{2}{3}$ सदस्यो के हस्ताक्षर]

↓

दूसरे सदन मे भी विशिष्ट बहुमत से पास

↓

इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

→ MLAs राष्ट्रपति के चुनाव मे हिस्सा लेते है लेकिन महाभियोग मे हिस्सा नही लेते।

→ मनोनीत MPs चुनाव मे भाग नही लेते किंतु महाभियोग मे भाग लेते है।

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव।

मृत्यु / त्यागपत्र / महाभियोग → उपराष्ट्रपति : राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करेगा
अधिकतम - 6 महिना

{ उपराष्ट्रपति → CJI (मुख्य न्यायाधीश) → वरिष्ठ न्यायाधीश }

{
प → पद (52)
का → कार्यपालिका (53)
नि → निर्वाचन (54)
}

{
की → कीटा (55)
का → कार्यकाल (56)
}

{
दू → दोबारा | पुर्ननिर्वाचन (57)
यो → योग्यता (58)
}

{
द → दशाएं (59)
श → शपथ (60)
म → महाभियोग (61)
}

अनुच्छेद - 63-71
" उपराष्ट्रपति "

अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यो का पालन करना।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(1) निर्वाचन मण्डल - सभी सांसद (All MPs)
एकल संक्रमणीय मत पद्वति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति

(2) संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो।
(चुने जाने पर पहला पद त्यागना होगा)

(3) योग्यता:
- भारत का नागरिक
- उम्र - 35 वर्ष
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
- लाभ का पद न धारण किये हो।

अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल - 5 वर्ष

- त्यागपत्र ⟶ राष्ट्रपति
- हटाने की प्रक्रिया → राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यो के बहुमत ने पारित किया हो। और जिससे लोकसभा सहमत हो।

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो।
अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य खत्म होने से पहले।
(60day)

अनुच्छेद 69: शपथ
└→ राष्ट्रपति दिलाते

अनुच्छेद 70: अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे।

अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा किये गये कार्य अमान्य नहीं होगें

अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (मृत्युदण्ड की माफ)
निलम्बन, लघुकरण, परिहार

अनुच्छेद 161 : राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
- (राज्यपाल मृत्युदण्ड को माफ नहीं कर सकता)
- राज्यपाल कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी माफ
- नहीं कर सकते।

उपराष्ट्रपति के चुनाव → 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक

भारत के पहले उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2 बार) लगातार

सर्वाधिक कार्यकाल - हामिद अंसारी

तीसरे राष्ट्रपति - वी.वी. गिरि

अनुच्छेद 73 :

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

अनुच्छेद 74 :

मंत्रीपरिषद का उल्लेख।

1. राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।

President → मंत्रीपरिषद → pm

President: राष्ट्रपति, निर्वाचित

pm ↓ वास्तविक शक्ति, सरकार का मुखिया

अनु० - 352(3)
↓
कैबिनेट
44 वां संविधान संशोधन

राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है लेकिन मंत्रीपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। (44 वां संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 75 :

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

प्रधानमंत्री
- जो लोकसभा मे बहुमत दल का नेता हो।
- किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा लेकिन उसे 1 महीने के अंदर सदन मे बहुमत पाना होगा।

75.1(A): मंत्रिपरिषद मे प्रधानमंत्री सहित मंत्रियो की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यो की कुल संख्या के 15 %. से अधिक नही होगी।
(91 वां संविधान संशोधन)

75.1(B): किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य, जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप मे उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहॉ वह ऐसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमे से जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप मे नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित (अयोग्य) होगा। (दलबदल)

75(2): मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते है।

75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

75(4): शपथ → राष्ट्रपति

75(5): मंत्री, जो किसी भी सदन का सदस्य नही है, को किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी।

→ PM दोनो सदनो मे से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

इंदिरा गांधी
HD देवगौडा
मनमोहन सिंह
} राज्यसभा के सदस्य
↓
सदन का नेता
(Leader of House)

75(6): वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 77: मंत्रियो के मध्य कार्य का बँटवारा राष्ट्रपति करेगे।
मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगे।

अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रीपरिषद से संबधित प्रस्तावो की सूची / सूचना राष्ट्रपति को दे।

"pm is the linchpin of govt." → नेहरू

मंत्रीपरिषद —— प्रधानमंत्री —— राष्ट्रपति

(भाग-5) संघ कार्यकारिणी		(भाग-6) राज्य कार्यकारिणी
राष्ट्रपति	→	गवर्नर (राज्यपाल)
प्रधानमंत्री	→	मुख्यमंत्री
मंत्रीपरिषद	→	मंत्रीपरिषद
महान्यायवादी	→	महाधिवक्ता
उपराष्ट्रपति	→	×

समकक्ष: अनुच्छेद 74 = अनुच्छेद 163
अनुच्छेद 75 = अनुच्छेद 164
अनुच्छेद 76 = अनुच्छेद 165

→ लोकसभा मे न्यूनतम सदस्य (मंत्री) की सीमा नही है लेकिन विधानसभा मे न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए।

अनुच्छेद 77 = अनुच्छेद 166

अनुच्छेद 78 = 167

अनुच्छेद 52 → अनुच्छेद153 → प्रत्येक राज्य मे
राज्यपाल

अनुच्छेद 53 → अनु० 154 → समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति

अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 55 } → अनु० 155 → राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण

अनुच्छेद 56 → अनु० 156 → राज्यपाल का कार्यकाल

अनुच्छेद 58 → अनु० 157 → राज्यपाल की योग्यता
भारत का नागरिक ।
35 वर्ष की आयु पूर्ण ।

→ कोई भी राज्यपाल, एक से अधिक राज्यो का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। (7 वां संविधान संशोधन 1956)

अनुच्छेद 59 → अनु० 158 → राज्यपाल के पद हेतु शर्तें ।

अनुच्छेद 60 → अनु० 159 → राज्यपाल की शपथ
↳ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 160 : कुछ आकस्मिकताओ मे राज्यपाल के कर्तव्यो का निर्वहन ।

अनुच्छेद 161 : क्षमादान की शक्ति ।

अनुच्छेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ।

SC → गवर्नर, केन्द्र सरकार के अधीन कोई पद नही है।
राज्यपाल का वेतन और भत्ता संसद के अनुसार तय होता है।

◉ 1979 मे भारत के pm के रुप मे मोरारजी देसाई का स्थान लिया - चौधरी चरण सिंह ने।

(1978 - 80) - रोलिंग प्लान

◉ पद से इस्तीफा देने वाले पहले pm - मोरारजी देसाई।

◉ किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला - सिरिमावो भंडारनाइके

1975 - श्रीलंका

◉ कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत का pm बन गया - HD देवेगौड़ा

◉ किस pm ने 13 दिनो का कार्यकाल पूरा किया - अटल बिहारी बाजपेयी

◉ pm के रुप मे सर्वाधिक कार्यकाल - जवाहर लाल नेहरु

16 साल 286 दिन

◉ दिल्ली की मंत्रिपरिषद मे केवल 10%. सदस्य ही मंत्री रह सकते हैं।

↳ 69 वां संविधान संशोधन

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री :

प्रधानमंत्री	→	जवाहर लाल नेहरु (+ विदेश मंत्री) (राष्ट्रमंडल)
कानून मंत्री	→	BR अम्बेडकर
गृह मंत्री	→	सरदार पटेल (सूचना एवं प्रसारण मंत्री)
खाद्य एवं कृषि	→	राजेन्द्र प्रसाद
शिक्षा मंत्री	→	मौ. अबुल कलाम आजाद
रेलवे मंत्री	→	जॉन मथाई
वित्त मंत्री	→	R. K. षणमुगम चेट्टी
श्रम मंत्री	→	जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	→	सरदार बलदेव सिंह
स्वास्थ्य मंत्री	→	राजकुमारी अमृतकौर (एकमात्र महिला मंत्री)

अनुच्छेद 79: संसद का गठन

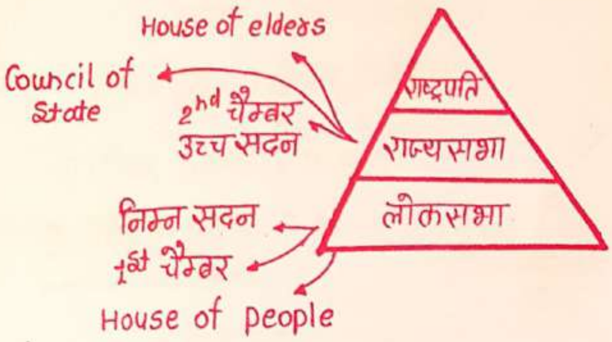

राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है जिसकी सहमति के बिना कोई भी बिल, एक्ट नही बन सकता।

1954 मे हिन्दी नाम - लोकसभा
राज्यसभा

लोकसभा पहली बैठक - 17 अप्रैल 1952
राज्यसभा " " - 13 मई 1952

अनुच्छेद 80: राज्यो की परिषद की संरचना।

अधिकतम सदस्य - 250

- 238 चयनित
  - सभी 28 राज्य (229)
  - 2 केन्द्रशासित प्रदेश (9) (दिल्ली, पुदुचेरी)
- 12 मनोनीत ← राष्ट्रपति
  - (Li S A : S)
  - Literature – साहित्य
  - Science – विज्ञान
  - Art – कला
  - Social Service – समाज सेवा

{ अन्य UTs मे जनसंख्या राज्यसभा मे प्रतिनिधित्व पाने के लिए बहुत कम है। }

प्रतिनिधित्व :

→ अप्रत्यक्ष चुनाव
→ आनुपातिक प्रतिनिधित्व
→ एकल संक्रमणीय मत

वर्तमान = 245

अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना

अधिकतम - 550 कोई नामित सदस्य नही।

- 530 — राज्य
- 20 — केन्द्रशासित प्रदेश

104 वां संविधान संशोधन
└ 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य × (खत्म)

→ वर्तमान = 543

→ प्रत्यक्ष चुनाव

अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन

↓

परिसीमन आयोग (पहला - 1952)

42 वां संविधान संशोधन - 2002

84th ,, ,, - 2026 तक इनकी संख्या मे कोई परिवर्तन नही।

अनुच्छेद 83: संसद के सदनो की अवधि

राज्यसभा - कोई अवधि नही।
└ सदस्यो - 6 वर्ष का

1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त (Retire)

LS/RS मे चुनाव की कोई सीमा नही है।

लोकसभा {
- सदन - 5 साल (जब तक भंग न किया जाये)
- सदस्य - 5 साल

└→ अवधि को बढाया भी जा सकता है। (आपातकाल मे)
(1 साल के लिए एक समय मे)

अनुच्छेद 84: संसद की सदस्यता के लिए योग्यता।

→ भारत का नागरिक हो।
शपथ - 3rd अनुसूची
→ उम्र { LS - 25 वर्ष
RS - 30 वर्ष }

अनुच्छेद 85: संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

3 सत्र
- बजट सत्र
- मानसून सत्र
- शीतकालीन सत्र

◉ सत्र बुलाना / सत्रावसान की घोषणा - राष्ट्रपति

◉ स्थगन → सदन का पीठासीन अधिकारी
(Adjournment) (बैठक का समापन)

Prorogation → सदन का समापन , Dissolution - लोकसभा का समापन

11 am - 12 pm : प्रश्नकाल (पहला घण्टा)

दिन का एजेंडा तय है ← शून्य काल (12pm - 1pm)

अनुच्छेद 86: सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।

अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति का विशेष संबोधन।

"motion of thanks"

{ प्रत्येक नई लोकसभा गठित होने पर।
प्रत्येक नववर्ष पर पहला सत्र। }

अनुच्छेद 88: सदनों के संबंध मे मंत्रियो और महान्यायवादी के अधिकार

किसी भी सदन मे बोल सकते है लेकिन मतदान नही कर सकते।

महान्यायवादी - किसी भी सदन का सदस्य नहीं।

अनुच्छेद 89: राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

89(1): उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।

(2): उपसभापति - सदन द्वारा चयनित (राज्यसभा का सदस्य)

उपराष्ट्रपति - किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

अनुच्छेद 90: उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

↳ अगर वह राज्यसभा का सदस्य न हो।

त्यागपत्र - उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा।

Removal (हटाना) - उपस्थित सदस्यों के बहुमत से। (राज्यसभा से)

अनुच्छेद 91: उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति।

यदि दोनों अनुपस्थित हो तो 10 लोगों की एक समिति में से कोई एक व्यक्ति कार्य करता है।

अगर दोनों की सीट खाली तब कोई सदस्य नहीं।

↳ राष्ट्रपति → किसी एक को अध्यक्ष बना देगा।

अनुच्छेद 92: सभापति या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

Voting <
- at first instance - 60 / 40
- Casting vote - 50 / 50

अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

लोकसभा के सदस्य अपने बीच से 1 अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।

त्यागपत्र : अध्यक्ष ⇌ उपाध्यक्ष

हटाना - प्रभावी बहुमत से।

लोकसभा के भंग होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष अगली लोकसभा तक अपना पद का त्याग नहीं करेगा।

अनुच्छेद 95 : उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।

अध्यक्ष – उपाध्यक्ष
- अनुपस्थित - उपाध्यक्ष का पैनल
- सीट खाली - राष्ट्रपति

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं।

अनुच्छेद 96 : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

अनुच्छेद 97 : सभापति/ उपसभापति एवं अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

अनुच्छेद 98 : संसद सचिवालय

अनुच्छेद 99 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राष्ट्रपति → प्रोटेम स्पीकर → शपथ दिलाता

अनुच्छेद 100: सदनों में मतदान , रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति।

100(3) : गणपूर्ति

↳ सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित रहने से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है।

100(4) : अगर गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित Suspend कर देगा।

बहुमत के प्रकार:

साधारण बहुमत: उपस्थित सदस्यों का बहुमत
50% उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य

पूर्ण बहुमत: सम्पूर्ण सदस्यों का 50%

विशिष्ट बहुमत: (प्रभावी) (सम्पूर्ण strength - Vacancy) का बहुमत
$\frac{235}{2}+1$

विशिष्ट बहुमत: सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या (total strength) का 50% + $\frac{2}{3}$rd उपस्थित सदस्य
(जज/चुनाव आयुक्त आदि को हटाना)

अनु० 61 → महाभियोग → $\frac{2}{3}$ of total strength

अनु० 249 → $\frac{2}{3}$rd उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य

प्रभावी बहुमत → उपराष्ट्रपति, स्पीकर, उपाध्यक्ष, को हटाना।
"लेकिन इनके चुनाव के लिए साधारण बहुमत।"

अनुच्छेद 101: सीटों की रिक्ति

(1) एक व्यक्ति एक ही समय पर संसद के दोनों सदनों या राज्यों के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है।

(2) त्याग - पीठासीन अधिकारी को त्यागपत्र
→ 60 दिनों तक बिना सूचना के अनुपस्थित

अनुच्छेद 102: सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

→ पागल, दिवालिया न हो।
→ भारत का नागरिक न हो।

→ 2 वर्ष से ज्यादा की सजा न हो।

<u>91 वां संविधान संशोधन</u> - दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित।
10th अनुसूची (52 वां सं॰ सं॰)

(a) स्वतंत्र सदस्य का राजनीतिक दल मे शामिल।

(b) 6 महीनो के बाद, किसी मनोनीत सदस्य का कोई राजनीतिक दल मे शामिल होना।

(c) Whip के directions को follow न करना।

(d) अगर कोई सांसद कोई अन्य दल मे शामिल हो जाता है।
अपवाद → मिलना → 2/3 rd सदस्य

(दलबदल के तहत अयोग्यता के संबंध मे निर्णय) (पीठासीन अधिकारी का निर्णय)

अनुच्छेद 103 : सदस्यो की अयोग्यता संबंधी प्रश्नो का निर्णय।
↳ राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त की सलाह पर।

किहोतो होलोहान Vs **जाचिल्हू** मामला → पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है लेकिन न्यायपालिका Review कर सकती है।

अनुच्छेद 104 : अनु॰ 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना या जब योग्य न हो या अयोग्य हो।
↳ 500₹/दिन

अनुच्छेद - 105 : संसद के सदनो और उसके सदस्यो और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि।

संसद मे बोलने का अधिकार, मंत्री का किसी के विरुद्ध बोलना (संसद मे) न्यायालय मे वाद योग्य नही है। (कुछ भी बहस कर सकता है)

mp को दीवानी मामलों में सत्र के प्रारम्भ के 40 दिन पहले एवं 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सदस्यों को वाक् स्वतंत्रता का अधिकार है, एवं उनके विरुद्ध उनकी कही किसी भी बात को आधार बनाकर किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते लेकिन फौजदारी मामलों में गिरफ्तार हो सकता है।

अनुच्छेद 106: सदस्यों के वेतन एवं भत्ते।
संसद के द्वारा तय

अनुच्छेद 107: विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।

विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है।

- बिल
  - साधारण विधेयक
    - सार्वजनिक विधेयक (1 हफ्ते का नोटिस)
    - निजी विधेयक (1 महीने का नोटिस)
      - └ निजी सदस्य लाता है। (जो मंत्री नहीं होता)
  - धन विधेयक
  - संविधान संशोधन विधेयक

बिल का पतन (lapse) → (Prorogation) सत्रावसान में बिल खत्म (lapse) नहीं होगा।
→ Dissolution में खत्म होता है।

अनुच्छेद 108: कुछ मामलो में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

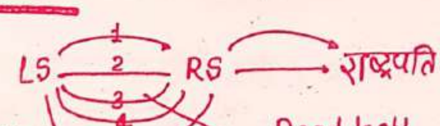

Deadlock- राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता।
↳ लोकसभा के नियमानुसार

3 बार संयुक्त बैठक - दहेज प्रथा बिल (1960)
बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल (1977)
आतंकवाद की रोकथाम विधेयक (2002)

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता - लोकसभा अध्यक्ष
↓ (अनुपस्थित)
उपाध्यक्ष (लोकसभा का)
↓
राज्यसभा का उपाध्यक्ष

राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नही करता।

अनुच्छेद 109: धन विधेयक के संबंध मे विशेष प्रक्रिया।

धन विधेयक केवल लोकसभा मे आ सकता।
↓
राज्यसभा
(केवल 14 दिन रोक सकता)

राज्यसभा, संशोधन नही कर सकता केवल अनुशंसित (Recommend कर सकता है।

LS → RS → राष्ट्रपति

धनविधेयक के संबंध मे राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है।
धनविधेयक के संबंध मे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नही है।

अनुच्छेद 110: 'धन विधेयक' की परिभाषा

कोई विधेयक, धनविधेयक है या नही यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है।

विधेयक, जो धनविधेयक नही होगा-
जुर्माना, फीस, सामान्य/साधारण उद्देश्य से लगा कर आदि/

अनुच्छेद 111: विधेयकों पर सहमति

↳ Negative Power = वीटो शक्ति

(absolute veto)
पूर्ण वीटो - बिल निरस्त

निलंबित वीटो - बिल को वापिस करना/

पॉकेट वीटो - कोई प्रतिक्रिया न करना/ → (ज्ञानी जैल सिंह द्वारा प्रयोग पहली बार)

क्वॉलिफाइड वीटो - भारत के राष्ट्रपति के पास नही/

धन विधेयक के मामले मे राष्ट्रपति बिल को वापिस नही कर सकता/
(धनविधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही आता है।)
संविधान संशोधन के मामले मे राष्ट्रपति किसी भी वीटो का प्रयोग नही कर सकता) (24 वां संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण

बजट (संविधान मे नही लिखा)

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे के संबंध मे संसद के दोनो सदनो के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा/

वार्षिक वित्तीय विवरण - खर्च
- भारत की समेकित निधि के लिए राशि ↓ (मतदेय नही) (non-votable) ↓ वेतन/भत्ते
- अन्य पूर्तियों के लिए राशि ↓ केवल लोकसभा मे

"राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नही की जायगी/"

RS को बजट पर कोई शक्ति प्राप्त नही है। केवल लोकसभा के पास मत (vote) की शक्ति है।

अनुच्छेद 113 : अनुमान के संबंध मे संसद मे प्रक्रिया

अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
↳ वोटिंग की अनुमति नही

विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत सरकार, भारत की संचित निधि से पैसा नही निकाल सकती।

→ 'वोटिंग के समय - Cut motion'
↓
नीति कटौती → अनुदान घटाकर 1 ₹ की मांग
आर्थिक कटौती → प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना
टोकन कटौती → 100 ₹ की कटौती की अनुमति

अनुच्छेद 115 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान

अनुच्छेद 117 : वित्तीय विधेयकों के संबंध मे विशेष प्रावधान

→ भारत सरकार की निधि:

1. संचित निधि (266) → कर (पब्लिक पर्स)
2. आकस्मिकता निधि (267) → राष्ट्रपति के हाथ मे, अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए।
3. सार्वजनिक खाते (266)
   ↳ रक्षा कोष, विभिन्न मंत्रालयों/विभागो के बचत खाते, भविष्यनिधि, आपदा प्रबंधन के लिए निधि

वित्तीय विधेयक → 2 तरह के

(धन विधेयक / वित्तीय विधेयक)

वित्तीय विधेयक 1
+ राष्ट्रपति
+ LS

वित्तीय विधेयक 2
+ साधारण विधेयक के समान

अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम

संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

अनुच्छेद 119 : वित्तीय व्यवसाय के संबंध मे संसद मे प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन

अनुच्छेद 120 : संसद मे प्रयोग की जाने वाली भाषा

संसद का कार्य संचालन (Business) हिन्दी या अंग्रेजी मे अनुवादित किया जायेगा।

→ 15 साल के बाद अंग्रेजी को हटा देना था, लेकिन अभी तक नही हटा।

→ पीठासीन अधिकारी सदस्य को उसकी मातृभाषा मे बोलने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 121 : संसद मे चर्चा पर रोक

'न्यायालय मे की चर्चा नही कर सकते।' जजो के संबंध मे संसद मे कोई चर्चा नही।

अनुच्छेद 122 : अदालते संसद की कार्यवाही की जांच नही करेगी।

अनुच्छेद 123 : संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

राष्ट्रपति की विधायी शक्ति

→ जब संसद का एक सदन सत्र मे न हो तब क्या अध्यादेश लाया जा सकता है- नही हाँ

→ अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा- 6 महीना & 6 सप्ताह

राज्यपाल का अध्यादेश - 213

अध्यादेश के संबंध मे मामला - डीसी वाधवा केस

राज्य विधानमंडल

भाग - 6

अनु० - 168 - 212

विधानसभा - सभी राज्यों मे
+2 UT

विधानपरिषद - 6 राज्यों मे

K - कर्नाटक
A - आंध्रप्रदेश
B - बिहार
U - UP
T - तेलंगाना
~~ऑ~~ -
M - महाराष्ट्र

जहाँ विधानसभा और विधानपरिषद दोनो है उसे हम द्विसदनीय विधानमंडल कहते है।

विधानसभा - अधिकतम - 500
न्यूनतम - 60 (अरुणाचल, सिक्किम, गोवा को छोड़कर - 30)
मिजोरम - 40 , नागालैण्ड - 46

विधानपरिषद - अधिकतम - $1/3$ विधानसभा का
न्यूनतम - 40

'वास्तविक संख्या, संसद द्वारा तय'

◉ विधानपरिषद के बनाने / तोड़ने की शक्ति - संसद

→ राज्य के विधानसभा के विशेष बहुमत से संसद द्वारा विधानपरिषद का गठन
(साधारण बहुमत से)

विधानपरिषद → $1/3$ सदस्य → MLA द्वारा चयनित
$1/3$ " → स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा
$1/12$ " → माध्यमिक + उच्च शिक्षकों द्वारा
$1/12$ " → स्नातकों द्वारा (3 वर्ष स्नातक)

$\frac{1}{6}$ सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत
(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी संस्था)

1- एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा
↳ 104th संविधान संशोधन द्वारा खत्म
↳ SC/ST का आरक्षण बढाया गया।

◉ योग्यता : विधानसभा - 25 साल
विधानपरिषद - 30 साल

◉ शपथ : राज्यपाल

◉ त्यागपत्र : पीठासीन अधिकारी

◉ सत्रावसान / विघटन → राज्यपाल

◉ साधारण बिल : ~~लोकसभा~~ विधान सभा → राज्यपाल

$\frac{1}{6}$ सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत
(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी संस्था)

1- एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा
↳ 104th संविधान संशोधन द्वारा खत्म
↳ SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया।

- **योग्यता :** विधानसभा - 25 साल
  विधानपरिषद - 30 साल
- **शपथ :** राज्यपाल
- **त्यागपत्र :** पीठासीन अधिकारी
- सत्रावसान / विघटन → राज्यपाल
- **साधारण बिल :** ~~लोक~~सभा / विधान → राज्यपाल

संसदीय समिति

- स्थायी समिति
  - वित्तीय समिति
    - सार्वजनिक लेखा समिति
    - प्राक्कलन समिति
    - लोक लेखा समिति
- तदर्थ समिति

<u>समानतायें</u> - इनका सदस्य कोई मंत्री नही हो सकता है।
→ कार्यकाल = 1 वर्ष
→ चुनाव - आनुपातिक प्रतिनिधित्व + एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा
→ सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा मनोनीत।

→ स्पीकर | अध्यक्ष के निर्देश मे काम करना|

असमानतायें:

सार्वजनिक लेखा समिति :

स्थापित /गठन - भारत शासन अधिनियम 1919 , 1921

सदस्य = 30
- लोकसभा 15
- RS 7

काम = नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किये गये लेखा-परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनो की जाँच करना|

प्राक्कलन समिति:

जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठन

गठन - 1950

सदस्य = 30 सभी लोकसभा से
(25, 1956 से 30)

कार्य = बजट मे शामिल अनुमान (estimates) की जांच करना|

लोक लेखा समिति :

गठन - 1964, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर

सदस्य = 22
- 15 LS
- 7 RS

15 सदस्य → (1974) 22 सदस्य

अध्यक्ष = केवल लोकसभा से

कार्य - जनता की रिपोर्ट और खाते की जांच करना|

विभाग संबंधी स्थायी समिति :

24 समिति
- 16 - LS
- 8 - RS

सदस्य = 31
- 21 LS
- 10 RS

निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति:

अध्यक्ष = लोकसभा का उपाध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष —
- व्यापार सलाहकार समिति
- नियम समिति
- सामान्य प्रयोजन समिति

राजभाषा पर संसदीय समिति = 1976 में गठित

30 सदस्य
- 20 लोकसभा
- 10 राज्यसभा

संवैधानिक संशोधन

संशोधन - भाग 20

└ अनु० 368 , दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।

→ संसद, संविधान के मूल ढाँचे के अलावा कुछ भी संशोधित कर सकती है। (केशवानंद भारती मामला 1973)

प्रक्रिया / Procedure :

- संविधान संशोधन बिल को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन राज्य विधानमण्डल में नहीं।
- इसे या तो मंत्री या प्राइवेट सदस्य कोई भी ला सकता है।
- इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- बिल विशेष बहुमत से पास होना चाहिए।
- कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती।
- राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। कोई वीटो शक्ति उपयोग नहीं कर सकता। (24 वां संविधान संशोधन)

के.सी. व्हेयर - " भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। "

न ही USA जितना कठोर , न ही UK जितना लचीला।

संशोधन (368)
तीन प्रकार से

- साधारण बहुमत
- विशेष बहुमत
- विशेष बहुमत + राज्य की सहमति (GST बिल)

विशेष बहुमत :

- मौलिक अधिकार
- DPSP (नीति निर्देशक तत्व)

विशेष बहुमत + कम-से-कम आधे राज्यों की सहमति :

- राष्ट्रपति का चुनाव एवं प्रक्रिया
- सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- SC/HC से संबंधित
- विधायी शक्तियों का वितरण
- अनुच्छेद 368

→ पहला संविधान संशोधन 1951 → 9 वीं अनुसूची
' कुछ राज्यों में कृषि सुधारों से संबंधित '

→ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस संशोधन को मंजूरी दी- 100 वां सं० संशोधन

→ गोवा को राज्य का दर्जा- 56 वां संवि. संशोधन
UT का दर्जा- 12 वां संवि. संशोधन

→ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे संशोधन - 2005

→ किस संशोधन द्वारा संघ सूची मे 'सेवाओ पर कर' नामक एक नया विषय जोड़ा गया - 88th

→ मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष - 61 वां संवि. संशोधन 1989

→ भारत का लघु संविधान - 42 वां संवि. संशोधन 1986

" आपात उपबंध "

भाग - 18

अनुच्छेद : 352 - 360 'भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया'

आपात

राष्ट्रीय आपात	राज्य आपात राष्ट्रपति शासन	वित्तीय आपात
अनु० - 352	अनु० 356	अनु० 360
युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह	राज्य मे संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना	भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा

↓

घोषणा - राष्ट्रपति
(कैबिनेट की मंजूरी)
(44 वां संविधान संशोधन)

मंजूरी = 1 महीना का विशेष बहुमत से (LS, RS)

मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक लागू

पुनः मंजूरी - 44 वां संविधान संशोधन

हटाना → राष्ट्रपति द्वारा   अधिकतम समय = अनिश्चित

→ लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता।

प्रभाव : मौलिक अधिकारो पर: (जर्मनी के संविधान से)

अनु० 358 → अनु० 19 के तहत 6 अधिकार समाप्त

अनु० 359 → अनु 19 के अलावा कोई मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो।

→ अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नही किये जा सकते हैं।

→ सशस्त्र विद्रोह के समय अनु० 19 को निलंबित नही किया जा सकता।

◉ आंतरिक विद्रोह → (44 वां संविधान संशोधन) सशस्त्र विद्रोह

→ कार्यकारिणी (executive) → केन्द्र किसी भी मामले पर राज्य को निर्देश (direction) दे सकता है।

→ विधायिका (Legislative) → संसद किसी भी विषय और राज्य सूची पर कानून बना सकती है। (6 महीने तक अधिकतम)

मिनर्वा मिल्स मामला → राष्ट्रीय आपातकाल लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

राष्ट्रीय आपात → 3 बार
- 1962 (भारत- चीन युद्ध)
- 1971 (भारत -पाकिस्तान युद्ध)
- 1975 (आंतरिक अशांति)

अनुच्छेद 355: राज्यों मे आंतरिक गड़बड़ी रोकने और शांति स्थापित करना केन्द्र सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर

◉ आधार { 356 - संवैधानिक तंत्र का विफल होना
365 - जब राज्य, केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करे। }

◉ घोषणा - राष्ट्रपति

◉ मंजूरी - संसद (within 2 months)
- साधारण बहुमत से

मंजूरी मिलने पर 6 महीनो तक।

अधिकतम समय = 3 वर्ष

◉ हटाना - राष्ट्रपति द्वारा कभी भी।
संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नही।

◉ प्रभाव - मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नही।
मंत्रिपरिषद (coms) को बरखस्त कर दिया जाता।
राज्यविधानसभा को निलंबित कर दिया जाता।

SR बोम्मई मामला संबंधित

◉ पहली बार राष्ट्रपति शासन - पंजाब (1951)

◉ अधिकतम बार - मणिपुर (10 बार)
UP (9 बार)

◉ आधार { 356 - संवैधानिक तंत्र का विफल होना
365 - जब राज्य, केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करे। }

◉ घोषणा- राष्ट्रपति

◉ मंजूरी- संसद (within 2 months)

- साधारण बहुमत से

मंजूरी मिलने पर 6 महीनो तक।

अधिकतम समय = 3 वर्ष

◉ हटाना- राष्ट्रपति द्वारा कभी भी।

संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नही।

◉ प्रभाव- मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नही।

मंत्रिपरिषद (coms) को बरखस्त कर दिया जाता।

राज्यविधानसभा को निलंबित कर दिया जाता।

SR बोम्बई मामला संबंधित

◉ पहली बार राष्ट्रपति शासन- पंजाब (1951)

◉ अधिकतम बार- मणिपुर (10 बार)

UP (9 बार)

भाग-V सर्वोच्च न्यायालय

अनु० - 124 - 147

अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन।

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बडी संख्या निर्धारित नही करती है, तब तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नही होंगे।

② सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और धारण करेगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वह पद पर रहेगा।

Judges Case : ④ 1st - 1982 2nd - 1993 3rd - 1998

99 वां संविधान संशोधन 2014 = जजों का समूह (Collegium) × = राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

'SP गुप्ता मामला'

4th → 99th संवि. संशोधन = असंवैधानिक
15

NJAC ⟶ Collegium

जजों की नियुक्ति की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।

(A) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर, अपना पद त्याग सकता है।

(B) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में दिये गये तरीके से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

③ नियुक्ति के लिये योग्य

- 5 साल तक किसी भी HC में जज
  या
- 10 साल तक वकील " "
  या
- राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो।

④ उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन

के अभिभाषण के बाद उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और कम-से-कम 2/3 के बहुमत से पारित राष्ट्रपति का आदेश पारित न हो जाये। उस सदन मे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो की संख्या को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटने के लिए उसी सत्र मे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 :

LS - 100
RS - 50 } → 3 सदसीय समिति → विशेष बहुमत

'रामास्वामी'
↳ महाभियोग का प्रस्ताव
↳ 1991

⑤ वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं।

⑥ कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे पद संभाला है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नही करेगा।

अनुच्छेद 125: न्यायाधीशो के वेतन आदि।

① वेतन जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

② ऐसे विशेषाधिकारो और भत्तो का हकदार होगा जो समय-2 पर संसद द्वारा बनाये गये कानून के तहत निर्धारित किये जाएं।

अनुच्छेद 126: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है

↳ तब कर्तव्यो का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो मे से एक द्वारा किया जायेगा।

(राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)

अनुच्छेद 127: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।
जब कोई जज अनुपस्थित हो।

◎ मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर नियुक्त

अनुच्छेद 128: उच्चतम न्यायालय की बैठकों मे सेवानिवृत न्यायाधीशो की उपस्थिति।

अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।

अनुच्छेद 130: उच्चतम न्यायालय की सीट।

Delhi → CJI → राष्ट्रपति

अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।

विवाद: ◎ भारत सरकार Vs एक या अधिक राज्य

◎ भारत सरकार + एक राज्य Vs राज्य / राज्यो के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच

◎ दो या अधिक राज्यो के बीच

अनुच्छेद 132: कुछ मामलो मे उच्च न्यायालय से अपील मे सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।

अनुच्छेद 133: सिविल मामलो के संबंध मे उच्च न्यायालय से अपील मे सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(शादी, तलाक, संपत्ति)

अनुच्छेद 134: आपराधिक मामलो के संबंध मे सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(मृत्यु, हत्या)

अनुच्छेद 135: मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जायेगी।

अनुच्छेद 136: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति।

अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा।

अनुच्छेद 138: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार।

└→ संसद द्वारा

अनुच्छेद 139: सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना।

अनुच्छेद 140: सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

अनुच्छेद 142: उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश।

1984 - भोपाल गैस त्रासदी → यूनियन कार्बाइड
(मिथाईल आइसो सायनेट)

(शक्तियों का बटवारा) (Judicial activism

सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो

अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 144: नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना।

124	125	126	127	128	129	130	131
SC	S	A	A	R	C	Seat	offer
स्थापना	Salaries	acting Judges	AdHoc Judge	Retired Judge	Court of Record	Delhi as a seat of SC	OJ

132
133 } अपीलीय क्षेत्राधिकार
134

भाग - 6 " उच्च न्यायालय "

अनु० : 214 - 231

214 : उच्च न्यायालय की स्थापना

215 : उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा।

216 : उच्च न्यायालय की संरचना।

मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश (संसद द्वारा निर्धारित)

217 : (1) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा) — अधिकतम उम्र = 62
परामर्श - Collegium

ⓐ त्यागपत्र → राष्ट्रपति

ⓑ हटाना -- सर्वोच्च न्यायालय के जज की भाँति { साबित कदाचार, अक्षमता }
└→ राष्ट्रपति द्वारा

(2) योग्यता : भारत का नागरिक
10 वर्ष HC का वकील
10 वर्ष तक कोई न्यायिक कार्यालय hold किया हो।

HC में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है।

218 : उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालयों में लागू करना।

219 : शपथ → राज्यपाल

220 : जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण

किया है वह SC और HC के सिवाय भारत मे किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नही करेगा।

221: वेतन (राज्य की संचित निधि से) पेंशन (भारत की संचितनिधि से

222: न्यायाधीशों का स्थानांतरण

↳ राष्ट्रपति (मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर)

223: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

224: अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशो की नियुक्ति।

225: क्षेत्राधिकार

MP_s Vs MLA_s के चुनाव का विवाद

HC का अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके मूल क्षेत्राधिकार से बड़ा है।

226: रिट क्षेत्राधिकार (उच्च न्यायालय)

↳ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा

227: उच्च न्यायालयो को अधीनस्थ न्यायालयो और न्यायाधिकरणो के अधीक्षण का अधिकार है।

228: X

229: X

230: उच्च न्यायालयो की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रो पर विस्तार।

↳ संसद द्वारा दिया गया अधिकार

A & N → कलकत्ता HC

लक्षद्वीप → कोच्चि (केरल)

दादर नगर हवेली → महाराष्ट्र

पुदुचेरी → मद्रास HC (TN)

231: दो या दो से अधिक राज्यो का एक उच्च न्यायालय।

(7 वा संविधान संशोधन)

	214	215	216			
N	H	R	C			
X	HC	Court of Record	Constitution			

A	A	O	R	E	S	T
217	218	219	220	221	222	223
Appoint-ment	application of certain provisions	Oath	Restriction	X	Salary	Transfer

" अधीनस्थ न्यायालय "

भाग-6

अनुच्छेद 233: जजों की नियुक्ति (जिला जज)

↳ राज्यपाल (HC की सलाह पर)

234: न्यायिक सेवा के लिए जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के बारे में।

→ सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन - 28 जनवरी 1950

	214	215	216
N	H	R	C
X	HC	Court of Record	Constitution

A	A	O	R	E	S	T
217	218	219	220	221	221	222
Appoint-ment	application of certain provisions	Oath	Restriction	X	Salary	Transfer

" अधीनस्थ न्यायालय "

भाग-6

अनुच्छेद 233 : जजो की नियुक्ति (जिला जज)

↳ राज्यपाल (HC की सलाह पर)

234: न्यायिक सेवा के लिए जिला न्यायाधीशो के अलावा अन्य व्यक्तियो की भर्ती के बारे मे |

→ सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन - 28 जनवरी 1950

संवैधानिक संस्था & असंवैधानिक संस्था

- वैधानिक
  - कानून/विधि के अनुसार
- गैर- वैधानिक
  - NITI
  - कार्यकारिणी द्वारा (Executive)

भाग- 14 अनु० 315-323

UPSC , SPSC & JPSC

अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

ARTICLE - 315

1 There shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

ARTICLE - 315

2 Two or more States may agree that there shall be one Public Service Commission for that group of States, and if a resolution to that effect is passed by the House or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of each of those States, Parliament may by law provide for the appointment of a Joint State Public Service Commission

दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का एक प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया जाता है या, जहां दो सदन हैं, उनमें से प्रत्येक के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाता है। राज्यों, संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है

अनुच्छेद 316: संदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

ARTICLE - 316

1 The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President, and in the case of a State

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा और राज्य आयोग के मामले में, राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

ARTICLE - 316

2 A member of a Public Service Commission shall hold office for a term of six years or until he attains, in the case of the Union Commission, the age of sixty-five years, and in the case of a State Commission or a Joint Commission, the age of 2 [sixty-two years], whichever is earlier:

लोक सेवा आयोग का एक सदस्य छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में पद पर बना रहेगा। 2 वर्ष की आयु [बासठ वर्ष], जो भी पहले हो:

ARTICLE - 316

2-A a member of a Public Service Commission may, by writing under his hand addressed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, to the President, and in the case of a State Commission, to the Governor of the State, resign his

लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में, राष्ट्रपति को और राज्य आयोग के मामले में, राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित रूप में अपना इस्तीफा दे सकता है। कार्यालय;

ARTICLE - 316

3 A person who holds office as a member of a Public Service Commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for re-appointment to that office.

एक व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

अनुच्छेद 317: लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना।

राष्ट्रपति हटाते हैं।

1. दिवालिया
2. अगर वह सवैतनिक रोजगार (paid employment) मे लगा हो।
3. अस्वस्थ मन (unsound mind)
4. दुराचार (SC द्वारा हटाना)

अनुच्छेद - 318: आयोग के सदस्यो और कर्मचारियो की सेवा शर्तो के संबंध में नियम बनाने की शक्ति।

UPSC → राष्ट्रपति
JPSC → राष्ट्रपति
SPSC → राज्यपाल

अनुच्छेद 319: सदस्य न रहने पर आयोग के सदस्यो द्वारा पद धारण करने पर प्रतिषेध।

भारत सरकार मे कोई पद धारण नही कर सकते।

अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोग के कार्य।

परीक्षा करवाना (CSE, CDS, CAPF etc.)

अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। संसद द्वारा

अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय

भारत की संचित निधि से

अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगो की रिपोर्ट

UPSC → राष्ट्रपति

SPSC → राज्यपाल

JPSC → ”

भाग 14(A) - अधिकरण (Tribunals)

भाग 15 : चुनाव आयोग अनु० 324 - 329

अनुच्छेद 324 :

चुनाव करवाना - संसद (LS, RS), राज्य विधानमण्डल
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

राज्य-चुनाव आयोग - पंचायतों का चुनाव

अनुच्छेद 325 :

संरचना (composition) :

- राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाने वाली सेवा की शर्तें।

भारत का चुनाव आयोग बहु सदस्यीय संस्था बनी - 1989

1988, 61 वां संविधान संशोधन

21 वर्ष ⟶ 18 वर्ष
मतदान उम्र

1+2

- मुख्य चुनाव आयुक्त (राजीव कुमार)
- अन्य चुनाव आयुक्त

कार्यकाल → 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो जाये।

हटाने की प्रक्रिया : उच्चतम न्यायालय के जज की भाँति

महत्वपूर्ण बिंदु : * अन्य चुनाव आयुक्त = CEC की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा

→ संविधान मे कोई योग्यता निर्धारित नही।

→ संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्त को, सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति से वंचित नही किया है।

→ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद के मामले में, मामला बहुमत द्वारा तय किया जायेगा।

वित्त आयोग :

अनुच्छेद - 280

- यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है।
- राष्ट्रपति द्वारा गठन।
- संरचना = 1+4
- यह पुर्ननियुक्ति (Reappointment) के लिये योग्य है।
- संसद इनकी योग्यतायें निर्धारित करती है।
- अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलो मे अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

चार अन्य सदस्यो को निम्नलिखित मे से चुना जाना चाहिए-

1. एक उच्च न्यायालय का जज हो।
2. एक व्यक्ति जिसे वित्त और अकांउट की विशिष्ट ज्ञान हो।
3. " " " आर्थिक एवं वित्तीय मामलो का विशिष्ट ज्ञान हो।

कार्य: वित्त आयोग निम्नलिखित मामलो पर राष्ट्रपति (President) को सिफारिशे करता है।

(वह इन्हे मानने के लिए बाध्य नही है।)

→ केन्द्रो और राज्यो के बीच साझा किये जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण।

→ पंचायतो और नगर पालिका के संसाधनो के पूरक के लिए एक राज्य की समेकित निधि को बढाने के लिए आवश्यक उपाय।

◎ पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष - के सी नियोगी

◎ 15th ,, ,, ,, - एन के सिंह

अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग का प्रावधान

अनुच्छेद 325: निर्वाचक नामावली

धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव/मतभेद नही।

अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार (LS/RS के लिये चुनाव)

अनुच्छेद 327: लोकसभा तथा राज्यो की विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने के शक्ति।

अनुच्छेद 329: चुनावी मामलो मे अदालतो के हस्तक्षेप पर रोक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक:

अनुच्छेद - 148 'एक सदस्यीय'

प्रथम CAG - V नरहरिराव

वर्तमान - गिरीशचन्द्र मुर्मू

◎ सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।

◎ केन्द्र / राज्य सरकारो के आय-व्यय की देखरेख करता है।

◎ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।

- कार्यकाल- 6 साल या 65 वर्ष की उम्र
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति इसको पद से हटाना।
- यह पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है।
- इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्ते संसद द्वारा निर्धारित।

अनुच्छेद 149: CAG की प्रक्रिया एवं कर्तव्य -

→ भारत तथा प्रत्येक राज्य/संघ की संचित निधि से किये गये सभी व्यय विधि के अधीन ही हुये है यह इस बात की संपरीक्षा करता है।
→ यह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है और प्रमाणित करता है।
→ यह राज्य सरकार के खातो का संकलन और रखरखाव करता है।

अनुच्छेद 150: संघ और राज्यो के लेखाओ को ऐसे प्रारुप मे रखा जायेगा जो राष्ट्रपति, भारत के CAG से परामर्श के पश्चात विहित करे।

अनुच्छेद 151: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (audit Report)

महान्यायवादी :

अनु० - 76 भाग-5

→ सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख विधि अधिकारी।
→ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
→ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिये जिन योग्यताओ की आवश्यकता होती है उनके योग्य हो।
→ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
→ वेतन और सेवा की शर्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।

→ SC/HC मे भारत सरकार की ओर से पेश होता है।

→ AG सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नही है। (कभी भी हटाये जा सकते)

→ AG को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नही किया गया है।

प्रथम महान्यायवादी - MC सीतलवाड

वर्तमान - R वेंकटरमणी

Advocate General - राज्य का सबसे बडा विधि अधिकारी / HC के न्यायाधीश के रूप मे चुने जाने की योग्यता रखता है।

→ नियुक्ति राज्यपाल करता है।

* राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

* राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

◎ 65 वां संविधान संशोधन - officers → Commission

◎ 89 वां संविधान संशोधन - 2003
- NCSC → अनु० 338
- NCST → अनु० 338(A)

◎ 102 वां संविधान संशोधन 2018 - NCBC

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग

↳ अनु० 338(B)

गठन : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य

→ भाषायीअल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

↳ भाग - 17 अनु० - 350(B)

7 वां संविधान संशोधन

गैर संवैधानिक निकाय :

NHRC - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

अध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य

↳ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

प्रथम - रंगनाथ मिश्रा

वर्तमान - अरुण कुमार मिश्रा

कार्यकाल - 3 साल या 70 साल की उम्र

CVC - केन्द्रीय सतर्कता आयोग :

गठन - 1964 एक **कार्यकारी अंग** के रूप में

2003 - एक विधिक निकाय बना।

संथानम समिति की रिपोर्ट पर गठित।

अध्यक्ष + 2 सदस्य

कार्यकाल - 4 साल / 65 वर्ष की उम्र

नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर

↳ 3 लोग { PM, गृहमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता }

CBI - केंद्रीय जांच ब्यूरो

गठित - 1963 , संथानम समिति की रिपोर्ट पर

motto - उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी

'Industry, Impartiality & Intigrity'

executive body

कार्यकाल - 2 वर्ष

यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्ति drives करता है।

लोकपाल & लोकायुक्त: 2013

↓ केन्द्र ↓ राज्य

Ombudsman → स्वीडन से प्रभावित

संरचना - 1 + 8

- 50% न्यायिक सदस्य
- 50% SC/ST/OBC

PM + Group A, B, C, D → भ्रष्टाचार देखते है

- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर
- पहले लोकपाल - पिनाकी चन्द्र घोष
- पहला राज्य जो लोकायुक्त लाया - महाराष्ट्र

नीति आयोग: executive body

1 जनवरी 2015, योजना आयोग के स्थान पर

"राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान"

- अध्यक्ष - PM
- उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
- CEO - BVR सुब्रह्मण्यम

अनुच्छेद 263: अन्तरराज्यीय परिषद

अध्यक्ष - PM

राष्ट्रपति द्वारा गठित

क्षेत्रीय परिषद (Zonal council):

- राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956
- विधिक निकाय (Statutory body)
- अध्यक्ष - गृह मंत्री
- सदस्य - सभी राज्यो के मुख्यमंत्री + 6 मंत्री (कैबिनेट रैंक के)
  ↳ PM द्वारा मनोनीत

→ भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त - रमा देवी

→ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष - किशोर मकवाना
उपाध्यक्ष - अरुण हलदर

→ लोकसभा मे SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान - अनु० 330

→ 1979 . मे 2nd पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष - B P मण्डल
इंदिरा साहनी मामला (मंडल मामला)

→ पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (BAMCEF) - 1978

→ भारतीय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक स्वायत्त निकाय बना - ~~1988~~ 1992

→ भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त - रमा देवी

→ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष - विजय सांपला
उपाध्यक्ष - अरुण हलदर

→ लोकसभा मे SC/ST के लिए आरक्षित सीटो का प्रावधान - अनु० 330

→ 1979 , मे 2nd पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष - B P मण्डल
इंदिरा साहनी मामला (मंडल मामला)

→ पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (BAMCEF) - 1978

→ भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड (SEBI) एक स्वायत्त निकाय बना - ~~1988~~ 1992

"स्थानीय सरकार"

पंचायत & नगरपालिका

अनु० [243 - 243(O)] (243P - 243 ZG)

अनु० 40 : राजस्थान - नागौर - 2 अक्टूबर 1959

73 वां संविधान संशोधन ·

पंचायती राज संस्थाओ का विकास:

प्रमुख समितियाँ:

1. **बलवंत राय मेहता समिति:** 1957
   3 स्तरीय
   → ग्राम पंचायत
   → पंचायत समिति
   → जिला पंचायत

2. **अशोक मेहता समिति:** 1977
   द्विस्तरीय

3. **एल. एम. सिंघवी समिति:** 1986 पंचायती राज का पुनरोद्धार

4. थुंगन समिति

5. गाडगिल समिति

<u>73 वां संविधान संशोधन 1992</u> '11 वीं अनुसूची'

↳ भाग-9 ↳ 29 विषय

लागू- 24 अप्रैल 1993

↳ पंचायती राज दिवस (2010 से) अनु० - 243 - 243(O)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस- 25 जनवरी (ECI का गठन)

<u>74 वां संविधान संशोधन</u> → नगरपालिकाओं का गठन

pm- PV नरसिम्हा राव

'12 वी अनुसूची'

↳ 18 विषय

भाग- 9(A) अनु० - 243(P) - 243 ZG

<u>अनुच्छेद 243 :</u> परिभाषा

ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र मे शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था।

<u>अनुच्छेद 243(A) :</u> ग्राम सभा

एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।

<u>अनुच्छेद 243(B):</u> पंचायतों का गठन

इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य मे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

जिला पंचायत > पंचायत समिति > ग्राम पंचायत

◉ अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है - 2 स्तरीय
↓
पंचायत समिति ×

अनुच्छेद 243(C): पंचायती की संरचना

1. पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरी जायेगी।
2. ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जायेगा।

अनुच्छेद 243(D): सीटों का आरक्षण

1. सीटे इनके लिये आरक्षित होगी-
   1. अनुसूचित जाति
   2. प्रत्येक पंचायत मे ST की उस पंचायत मे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटो की कुल संख्या के अनुपात मे रखा जाता है।
2. प्रत्येक पंचायत मे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटो की कुल सं० मे कम-से-कम 1/3 (SC+ST महिला सहित) सीटें महिलाओ के लिए आरक्षित होगी।
3. गांव / किसी अन्य स्तर पर पंचायती मे अध्यक्षो के पद SC, ST & महिलाओ के लिये राज्य विधानमंडल कानून द्वारा आरक्षित किये जायेगे।

अनुच्छेद 243(E): पंचायती की अवधि।

1. पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक
2. किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहेगी।

→ विघटित करने की शक्ति- जिला परिषद
↳ राज्य सरकार

अनुच्छेद 243-F : सदस्यता के लिए अयोग्यताऐं

अयोग्यताएँ :

1(A): व्यक्ति संबंधित राज्य के विधानमण्डल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है : बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नही ठहराया जायेगा कि वह 25 वर्ष से कम उम्र का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

1(b): यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाये गये किसी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है।

→ राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित की गई प्राधिकरण द्वारा अयोग्तायें निर्धारित की जायेगी।

अनुच्छेद 243-G: पंचायतो की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व

राज्य विधानमण्डल ⟶ पंचायतो की शक्तियाँ
↓
स्वशासन की संस्थाओ के रूप मे कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक

अनुच्छेद 243-H: पंचायतो द्वारा और उनकी निधियो पर कर लगाने की शक्तियाँ

अनुच्छेद 243-I : वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

राज्यपाल ⟶ वित्त आयोग का गठन

73 वां संविधान संशोधन
1992

1 वर्ष के भीतर (हर 5 वें वर्ष की समाप्ति पर)

अनुच्छेद 243-J : पंचायतो के खातों की लेखापरीक्षा

अनुच्छेद 243-K : पंचायतो के चुनाव → राज्य चुनाव आयोग
नियुक्ति- राज्यपाल

पद से हटाना - HC के जज की भाँति
↳ (अयोग्यता & कदाचार)

अनुच्छेद 243-L : केन्द्र शासित प्रदेशो के लिए आवेदन।

अनुच्छेद 243.M : भाग का कतिपय क्षेत्रो पर लागू न होना।

PESA 1996 → Panchayat extension to scheduled areas
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो तक विस्तार)

अनुच्छेद 243 N : मौजूदा कानून और पंचायतो का जारी रहना।

अनुच्छेद 243 O : चुनावी मामलो मे अदालती के हस्तक्षेप पर रोक।

नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम → पंचायती राज (×)
दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी UTs मे पंचायती राज मौजूद।

नगरपालिकाएँ

भाग - 9(A)
अनु० : 243 P - 243 ZG
74 वां संविधान संशोधन

मेयो संकल्प 1870 - वित्तीय विकेन्द्रीकरण

रिपन संकल्प 1882 - स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा
↳ स्थानीय स्वशासन के पिता

स्थानीय स्वशासन - भारत शासन अधिनियम 1935 → प्रांतीय विषय

शहरी स्थानीय शासन - (8)

नगर निगम, नगरपालिका (MoHUA), अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति
छावनी बोर्ड (Modefence), टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट (MoHA) & विशेष उद्देश्य एजेंसी।

→ भारत मे प्रथम नगर निगम - मद्रास (1688)

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 :

बंगाल का गवर्नर → बंगाल का गवर्नर जनरल

↓

वारेन हेस्टिंग्स → अंतिम गवर्नर बंगाल का
प्रथम गवर्नर जनरल

बंगाल का प्रथम गवर्नर
↳ रार्बट क्लाइव

→ कलकत्ता मे SC की स्थापना

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट :

कम्पनी पर दोहरा नियंत्रण

कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स + बोर्ड ऑफ कंण्ट्रोल

(व्यापारिक कार्य) (राजनैतिक मामले)

1858 - भारत शासन अधिनियम :

- 1857 - की महान क्रांति (कारण)
- EIC से शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ
- गवर्नर जनरल → वायसराय
- राज्य सचिव
  - ↳ ब्रिटिश MP
  - ↳ 15 सदस्य
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स + बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल समाप्त हो गया /

1813 का चार्टर एक्ट :

कंपनी से उसके व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया /

सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार कंपनी कर सकती है /

- भारतीयों के शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख ₹ ।
- ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया।

1833 का चार्टर अधिनियम:

- कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
- बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हो गया।

↓ विलियम बैंटिक
- → बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल
- → भारत का प्रथम गवर्नर जनरल

1853 → नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (सिविल सर्विस)

1909 का भारत परिषद अधिनियम / मार्ले-मिण्टो सुधार:

- मार्ले ↓ भारत राज्य सचिव
- मिण्टो → भारत का गवर्नर जनरल

साम्प्रदायिक निर्वाचन - मुस्लिम (पृथक निर्वाचन)
→ मिण्टो पिता

वायसराय की एक्जिक्युटिव कांउसिल का पहला भारतीय सदस्य - सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा

1919 का भारत शासन अधिनियम / मोंटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार:

- मोंटेग्यू ↓ राज्यसचिव
- चेम्सफोर्ड ↓ गवर्नर जनरल

पृथक निर्वाचन - विस्तार किया { एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन }

प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया।

◎ पहली बार केंद्रीय विधानपरिषद को द्विसदनीय किया

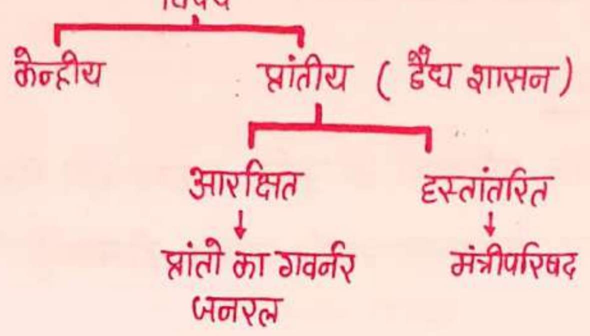

भारतीय संविधान के भाग :

भाग	विषय	अनुच्छेद
1	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4
2	नागरिकता	अनुच्छेद 5 से 11
3	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35
4	राज्य के नीति निदेशक तत्व	अनुच्छेद 36 से 51
4 क	मौलिक कर्तव्य	अनुच्छेद 51(क)
5	संघ	अनुच्छेद 52 से 151
6	राज्य	अनुच्छेद 152 से 237
7	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	अनुच्छेद 238 (निरस्त)
8	संघ राज्य क्षेत्र	अनुच्छेद 239 से 242
9	पंचायते	अनुच्छेद 243 से 243 क से ण
9 क	नगरपालिकाए	अनुच्छेद 243 त से 243 यछ
9 ख	सहकारी समितिया	अनुच्छेद 243 यज से 243 यन
10	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	अनुच्छेद 244 244क
11	संघ और राज्यों के बीच संबंध	अनुच्छेद 245 से 263
12	वित, संपत्ति, संविदाएं और वाद	अनुच्छेद 264 से 300 क
13	भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापर, वाणिज्य एवम् समागम	अनुच्छेद 301 से 307
14	संघ एवम् राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनुच्छेद 308 से 323
14 क	अधिकरण	अनुच्छेद 323 क से 323 ख
15	निर्वाचन	अनुच्छेद 324 से 329
16	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 330 से 342
17	राजभाषा	अनुच्छेद 343 से 351
18	आपात उपबंध	अनुच्छेद 352 से 360
19	प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण)	अनुच्छेद 361 से 367
20	संविधान संशोधन	अनुच्छेद 368
21	अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	अनुच्छेद 369 से 392
22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	अनुच्छेद 393 से 395

12 Foreign → Finance, property & contracts
वित्त, संपत्ति & संविदाये & वाद

13 Tours → Trade & Commerce
व्यापार वाणिज्य

14 Sound → Services
सेवाये
(UPSC, SPSC, JPSC)

14(A) to → Tribunals
अधिकरण
323(A)
323 (B)

15 expensive → election
निर्वाचन

16 She → Special provisions
कुछ वर्गों के संबंध मे विशेष उपबंध

17 owns → official
भाषाये

18 expensive → emergency
आपात उपबंध

19 M → misc.
प्रकीर्ण

20 A → Amendment
संशोधन

21 T → Temp.
अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध

22 S → Short Name
संक्षिप्त नाम